न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई टोंक, राज0

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—134 / 2024
दायर दिनांकः— 07.06.2024

उनवान

रामुलाल पुत्र जगल्या जाति खंगार निवासी सिरस निवाई

वादीगण

बनाम

तहसीलदार निवाई

प्रतिवादी

उपस्थित

प्रार्थी की और से :— श्री कजोडमल गुर्जर, एडवोकेट

प्रतिवादी की और से :—पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत— अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि0—1956

निर्णय

दिनांक—27.06.2024

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अर्न्तगत धारा—128 इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी **खसरा नम्बर 2417 / 2** रकबा 0.3288 है0, **खसरा नम्बर 99 / 10** रकबा 0.3794 है0, **खसरा नम्बर 99 / 11** रकबा 0.3667 है0, **खसरा नम्बर 99 / 8** रकबा 0.1897 है0, **खसरा नम्बर** 99 / 9 रकबा 0.2529 है0, वाके ग्राम श्योसिंहपुरा हल्का पटवार सिरस, तहसील **निवाई टोंक** में स्थित है जिसके प्रार्थीगण सह खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। उक्त भूमि के चारो ओर सीमा चिन्ह मिट चुके है इस कारण पडौसी खातेदार आये दिन प्रार्थीगण की भूमि मे कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार (तहसीलदार निवाई) की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के खोतदारी में है। मौके पर कब्जा है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

संशोधित आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा —128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी **खसरा नम्बर 2417 / 2** रकबा 0.3288 है0, **खसरा नम्बर 99 / 10** रकबा 0.3794 है0, **खसरा नम्बर 99 / 11** रकबा 0.3667 है0, **खसरा नम्बर 99 / 8** रकबा 0.1897 है0, **खसरा नम्बर** 99 / 9 रकबा 0.2529 है0, वाके ग्राम श्योसिंहपुरा हल्का पटवार सिरस, तहसील **निवाई टोंक** , का पटवारी / भू.अ.नि. की टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। पत्थर गढी से पूर्व तहसीलदार निवाई, टोंक सम्बिधत पक्षकारो को यथासंभव सूचित करेगा। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय **दिनांक 27.06.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई टोंक, राज0

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस.)

पत्थर गढ़ी आदेश

प्रकरण संख्याः—151/2024
दायर दिनांकः— 02.05.2024

उनवान

1. रामुलाल पुत्र जगल्या जाति खंगार निवासी सिरस तहसील निवाई

वादीगण

वनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित
वादी की और से :—श्री कजोड़मल गुर्जर, एडवोकेट
प्रतिवादी की और से :—पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत— अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि0—1956

निर्णय

दिनांक—12.06.2024

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अर्न्तगत धारा—128 इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी **खसरा नम्बर 2417/2 रकबा 0.3288 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरस पटवार हल्का सिरस** तहसील **निवाई टोंक** में स्थित है जिसके प्रार्थीगण सह खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। उक्त भूमि के चारो ओर सीमा चिन्ह मिट चुके है इस कारण पडौसी खातेदार आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार (तहसीलदार निवाई) की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के खोतदारी में है। मौके पर कब्जा है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

आदेश

फलतःप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा —128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार **निवाई** को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी **खसरा नम्बर 2417/2 रकबा 0.3288 हैक्टेयर वाके ग्राम सिरस पटवार हल्का सिरस** तहसील **निवाई टोंक** का पटवारी/भू.अ.नि. की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। पत्थर गढी से पूर्व तहसीलदार निवाई सम्बिधत पक्षकारो को यथासंभव सूचित करेगा। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णयदिनांक **12.06.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी,निवाई